न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

अपील संख्या:– 55/2020
जी.सी.एम.एस .संख्या:– 2020/00096
अपील संख्या:– 56/2020 (223 आर.टी.एक्ट)
जी.सी.एम.एस .संख्या:– 2020/00092
अपील संख्या:– 57/2020
जी.सी.एम.एस .संख्या:– 2020/00097

उनवान

1. हरी पुत्र बृजा
2. केदार पुत्र बृजा
3. तीजो बेवा बृजा
4. रामकौरी पुत्री बृजा
5. शंकरबाई पुत्री बृजा
6. श्रीबाई पुत्री बृजा

जातियान मीना निवासीयान महल ढोंकरी सब तहसील करणपुर तहसील सपोटरा जिला करौली।

....अपीलांटस्/प्रतिवादीगण।

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र भन्ता
2. रामनाथ पुत्र भन्ता
3. महेश पुत्र भन्ता
4. कुम्हेर पुत्र भन्ता
5. तुलसी पुत्र भन्ता
6. मल्लो बेवा भन्ता
7. मंगलबाई पुत्री भन्ता
8. महेश बाई पुत्री भन्ता
   समस्त जातियान मीना निवासीयान महल ढांकरी सब तहसील करणपुर तहसील सपोटरा जिला करौली।
9. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील सपोटरा जिला करौली।

.....रेस्पोडेन्टस्/वादीगण।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

उपस्थितः–

1. श्री धीरेन्द्र पाल सिंह अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री श्रीदास सिहं व श्री रिषीराम मीना अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट।

अपील संख्याः–57/2020 विरूद्व अदालत मातहत के आलौच्य निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 06.01.2016, अपील संख्याः 55/2020–विरूद्व प्रतिवादी का प्रतिवाद पत्र खारिज किए जाने व अपील संख्या 56/2020: विरूद्व अदालत मातहत के अंतिम डिक्री दिनांक 15.07.2016 के विरूद्व पेश की गई है। तीनो अपीलों मे पक्षकार व विषयवस्तु समान होने से एक साथ ही निर्णय की जा रही है।

–:: निर्णय ::–

दिनांकः 26.06.2023

1. यह तीनों अपीले मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड सपोटरा में दायर राजस्व वाद संख्या 15/2009 बउनवान रामस्वरूप वगैरह बनाम हरि वगैरह में पारित प्राथमिक आदेश व डिक्री 06.01.2016 तथा अन्तिम डिक्री दिनांक 15.07.2016 के विरूद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधियिम 1955 न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत की गई है। उक्त आदेश के विरूद्व न्यायालय हाजा में अपील संख्या 55/2020, 56/2020 तथा 57/2020 पेश की गई है। चुंकि सभी अपीले एक ही आलौच्य आदेश के विरूद्व की गई है और सारभूत रूप से विवाद की विषयवस्तु एक समान ही है। अतः उक्त तीनो अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है।
2. प्रकरण मे संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद इस आशय का पेश किया है कि आराजी खसरा नंबर 45, 46, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 63, 65, 67, 351, 352, 353, 440, 441, 442, 445, 447, 448, 449, 184, 188, 189 कुल किता 25 कुल रकबा 37 बीघा 15 बिस्वा ग्राम महल ढांकरी सब तहसील करणपुर तहसील सपोटरा मे स्थित है। वादीगण के पिता भन्ता व प्रतिवादीगण के पिता बृजा पुत्र अमलू के समय की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की है। विवादित आराजीयात मे वादीगण का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 6 का 1/2 हिस्सा है। भन्ता व बृजा का स्वर्गवास हो चुका है। वादीगण का अब विवादित आराजीयात का प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 06 के साथ शामिल मे काश्त करना संभव नही है। प्रतिवादी संख्या 01 लगा0 06 बंटवारा करने को राजी नही है। अतः न्यायालय हाजा से अनुतोष चाहा कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

वादीगण के हिस्से 1/2 के अलग से खातेदारी इन्द्राज व लगान राजस्व रिकार्ड मे अमल करावे।

प्रतिवादीगण ने जरिये वकील अपना जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर कथन किया कि विवादित आराजीयात संवत् 2002 से ही प्रतिवादीगण की तन्हा खातेदारी व कब्जे काश्त की है, जो प्रतिवादीगण को अपने पिता व पितामह के समय से तन्हा रूप से बतौर खातेदार काश्तकार काबिज है। अपील मे आगे कथन अंकन किए गए कि प्रस्तुत सजरा के अनुसार देवा के चार लडको मे से मियाचंद व श्रीचंद (लाऔलाद फौत) के पास व अमलू, पेमा(लाऔलाद फौत) के पास रहते थे और इस अनुसार विवादित आराजी संवत् 2002 से ही अमलू व पेमा के संयुक्त कब्जे काश्त मे चली आ रही है। पेमा वल्द देवा की आराजीयात पर पेमा के फौत होने पर अमलू व उसके पश्चात् उसके वारिसान का कब्जा काश्त चला आ रहा है। पेमा की अंतिम किया भी अमलू के वारिसान द्वारा ही की गई है। पंचनामा संवत् 2053 मे भी कब्जा अपीलांट का माना गया है।

परन्तु बंदोबस्त विभाग द्वारा गलत रूप से विवादित आराजीयात भन्ता वल्द मियाचंद के शामिलात मे दर्ज कर दी गई, और हाल जमाबंदी 2064 मे बृजा उर्फ बिरजू की वल्दीयत भी मियाचंद दर्ज कर दी गई। अंत मे अनुतोष चाहा गया कि बंदोबस्त विभाग द्वारा विवादित आराजीयात मे जमाबंदी संवत् 2010--2013 मे पेमा वल्द मियाचंद की विरासत की जगह मियाचंद दर्ज कर दिया गया है। उसको कलमजन किया जावें और जमाबंदी संवत् 2059–2064 मे वल्दीयत मियाचंद की जगह अमलू दर्ज किया जावें, और इस अनुसार खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जावें। वादीगण का विवादित भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा नही है और ना ही दायरी दावे के समय रहा। अतः वादीगण का वाद पत्र खारिज फरमाया जावें।

प्रतिवादीगण के काउन्टर क्लेम के जवाब मे वादीगण द्वारा जवाब दिया गया कि काउन्टर क्लेम जमीन हडपने की नियत से किया गया है। मुकदमा पक्षकार अनुसूचित जनजाति के होने के कारण **पुराना हिन्दू लॉ** लागू होता है। विवादित आराजीयात अमलू पुत्र देवा के नाम कभी नही रही, भूमि के देवा के समय से ही वादी का हिस्सास 1/2 निहित है। पेमा की मृत्यु होने पर हिन्दू लॉ के अनुसार भाई/भाईयों की औलाद उत्तराधिकारी होती है। वादीगण के हकूक मे सेटलमेंट संवत् 2015 मे की गई इन्द्राज सही व विधिवत है। काउन्टर क्लेम खारिज किया जावें। बंटवारा 1/2–1/2 पृथक–पृथक खातेदारी दर्ज की जावें।

3. मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी सपोटरा ने दिनांक 24.02.2016 को निर्णय व प्राथमिक डिकी पारित कर वादीगण का वादपत्र स्वीकार करते हुए एवं काउन्टर क्लेम को खारिज करते हुए विवादित आराजीयात को वादीगण 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

संख्या 01 लगायत 06 1/2 हिस्से का पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने का आदेश पारित करते हुए। निर्णय व प्राथमिक डिक्री के आधार दिनांक 15.07.2016 को अन्तिम डिक्री पारित कर दी गई।

उक्त निर्णय, प्राथमिक डिक्री, अन्तिम डिक्री व काउन्टर क्लेम खारिज करने से व्यथित होकर केवल ही एक अपील न्यायालय हाजा मे अपील संख्या 88/16 पेश की गई थी, जिसका निर्णय दिनांक 16.06.17 को किया जाकर प्रकरण को अदालत मातहत को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। इस निर्णय से व्यथित होकर रेस्पोडेन्टगण द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे रेस्पोडेन्टगण द्वारा एक अपील संख्या 3895/2017 पेश की गई, जो 17.03.2020 को निर्णित की गई। माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के बिंदु संख्या 11 व 12 मे यह विवेचन किया गया कि प्राथमिक डिक्री, काउन्टर क्लेम खारिज किया गया, अंतिम डिक्री की अधिनस्थ अपीलीय न्यायालय मे केवल एक ही अपील की गई है जबकि अलग–अलग पेश करनी चाहिए थी, जो नही की गई एवं उचित नही है। इस प्रकार की स्थितियों की परिपेक्ष मे अधिनस्थ अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई एक अपील संधारण योग्य नही रही है। बिंदु संख्या 13 के अनुसार उक्त विधिक प्रावधानों के अनुसरण मे अपील अपीलार्थी स्वीकार की गई है और अधिनस्थ अपील न्यायालय की अपील संख्या 88/2016 निर्णय 15.06.17 को निरस्त कर दिया गया। माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के निर्णय की पालना मे विधिक प्रावधानों मे विधिक प्रावधान की पालना करते हुए यह तीनों अपीलें इस न्यायालय मे पेश की गई है।

4. अपील संख्या 55/2020 व 56/2020 के अपील मीमों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि निर्णय व डिक्री दिनांक 06.01.16 एवं के आधार डिक्री दिनांक 15.07.16 मातहत अदालत जिसमें प्राथमिक डिक्री पारित कर अपीलार्थी का काउन्टर क्लेम खारिज हुआ वो पूर्णतः आरबेट्री परिवरिश रेस्पोडेन्ट है जो निरस्त किये जाने योग्य है। पेमा व अमलू की कृषि आराजीयात भी शामिलात में रही। पेमा अमलू के पास में ही रहा और वाद पत्र के मद नंबर एक में वर्णित आराजीयात पेमा व अमलू की खातेदारी कब्जे काश्त की शामिलात में रही है। विवादित आराजी खसरा नंबर 184, 188, 189 जिसके साबिक खसरा नंबर 137, 141, 142 है संवत् 2002 से 2006 खाता चारसाला मे पैमा पुत्र देवा व बृजलाल पुत्र अमलू के संयुक्त खातेदारी में दर्ज रही है। साबिक खसरा नंबर 33, 34, 40, 41, 43, 44, 39, 333, 284, 285, 286, 364, 363, 354, 362, 361, 359, 360, 358 पर संवत् 2002 से अपीलांटस् के पिता बृजा उर्फ बिरजूलाल का कब्जा पैमा पुत्र देवा के मरने के बाद तन्हा रूप बतौर खातेदार काश्तकार रहा है।

पेमा के फौत के उपरांत उसके सभी अंतिम किया कम अपीलांट द्वारा किए गए है क्योंकि पेमा व अमलू दोनो शामिलात मे रहते थे और दोनो की आराजीयात संवत्

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

2002 से संयुक्त कब्जे काश्त मे थी। अदालत मातहत द्वारा राजस्व रिकार्ड पर्चा संवत् 2002 व प्रदर्श डी–1 से डी–4 का बिना अवलोकन किए ही निर्णय पारित किया है। पंच पटेलों का पर्चा मौका संवत् 2053 से भी अपीलांट का कब्जा साबित है। उक्त विवादित आराजीयात से वादीगण व उनके पिता भन्ता व पितामह मियाचन्द को कोई कब्जा काश्त खातेदारी कभी भी नही रही है फिर भी मातहत अदालत द्वारा दावा वादगण डिक्री करने में व काउन्टर क्लेम अपीलांटस्/प्रतिवादीगण खारिज कर भारी कानूनी भूल की हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.01.16 के आधार पर जारी अन्तिम डिक्री दिनांक 15.07.16 को निरस्त फरमावें।

अपील के साथ ही प्रार्थना पत्र दफा 5 व दफा 12 मियाद अधिनियम पेश किया गया है। जिन के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 17.03.20 को अपने निर्णय में विनिश्चय किया कि वादी के वाद पत्र में प्रतिवादी पक्ष की ओर से जवाब दावे के साथ मे प्रतिवाद काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया था जिसे परीक्षण न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री के निर्णय के साथ ही निर्णय पारित करते हुए खारिज किया है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 नियम 4 व 6 के प्रावधानों के अनुसार काउन्टर क्लेम भी एक वाद का रूप ही होता है और उस पर वे सभी प्रक्रियात्मक प्रावधान लागू होते है जो कि एक वाद में लागू होते हैं एवं उक्त प्रकरण मे वादी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष जो वाद प्रस्तुत किया था उसमें प्रस्तुत किए गए प्रतिवाद को खारिज करने और वादी के वाद को डिक्री करने के निर्णय के विरूद्व एक ही अपील पेश की है। जबकि दावा को डिक्री करने के आदेश एवं प्रतिवादी काउन्टर क्लेम को खारिज करने के विरूद्व मातहत अदालत के समक्ष दो पृथक–पृथक अपीले पेश करनी चाहिए थी। अतः अब यह अपीले दफा 5 व दफा 12 मियाद अधिनियम के प्रार्थना के साथ पेश की जा रही है।

संपूर्ण देश व राज्य में वैश्विक महामारी कोरोना चल रही है जिस वजह से अपीलार्थीगण को आवागमन के साधन नही मिलने एवं न्यायालयों के निर्णय की समय पर जानकारी नही मिलने एवं बिमारी का भय होने एवं ग्रामीण परिवेश के काश्तकार पेशा एवं औरतजात होने लोकडाउन होने एवं उसके उपरान्त् अजमेर दिनांक 21.07.2020 को जाने पर अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा उनके प्रकरण में दिनांक 17.03.2020 को निर्णय हो गया था जिसकी जानकारी देने पर एवं उसके उपरान्त राजस्व मण्डल के निर्णय की नकल लेने पर एवं उसके उपरान्त कोरोना माहमारी की वजह से प्रार्थीगण अपने मातहत अदालत के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 14.09.2020 को आवेदन कर दिनांक 15.09.2020 को नकल प्राप्त करने मे हुई देरी को कण्डोन फरमाते हुए अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करे।

स्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

5. अपील संख्या 56/2020 के अपील मीमों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि है। पेमा व अमलू की कृषि आराजीयात भी शामिलात में रही। पेमा अमलू के पास में ही रहा और वाद पत्र के मद नंबर एक में वर्णित आराजीयात पेमा व अमलू की खातेदारी कब्जे कास्त की शामिलात में रही है। विवादित आराजी खसरा नंबर 184, 188, 189 जिसके साबिक खसरा नंबर 137, 141, 142 है संवत् 2002 से 2006 खाता चारसाला मे पैमा पुत्र देवा व बृजलाल पुत्र अमलू के संयुक्त खातेदारी में दर्ज रही है। साबिक खसरा नंबर 33, 34, 40, 41, 43, 44, 39, 333, 284, 285, 286, 364, 363, 354, 362, 361, 359, 360, 358 पर संवत् 2002 से अपीलांटस् के पिता बृजा उर्फ बिरजूलाल का कब्जा पैमा पुत्र देवा के मरने के बाद तन्हा रूप बतौर खातेदार काश्तकार रहा है। उक्त विवादित आराजीयात से वादीगण व उनके पिता भन्ता व पितामह मियाचन्द को कोई कब्जा कास्त खातेदारी कभी भी नही रही है फिर भी मातहत अदालत द्वारा दावा वादगण डिकी करने में व काउन्टर क्लेम अपीलांटस्/प्रतिवादीगण खारिज कर भारी कानूनी भूल की हैं। मातहत अदालत ने रेस्पोडेन्ट को 1/2 हिस्से का खातेदार मानते हुये विधि विरूद्व निर्णय पारित किया है तथा मातहत अदालत द्वारा प्रकरण को लोक अदालत कैम्प करणपुर में कोई नोटिस अपीलार्थीगण को नही दिया गया था। जों निरस्त किए जाने योग्य है।

अपील के साथ ही प्रार्थना पत्र दफा 5 व दफा 12 मियाद अधिनियम पेश किया गया। जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि संपूर्ण देश व राज्य में वैश्विक महामारी कोरोना चल रही है जिस वजह से अपीलार्थीगण को आवागमन के साधन नही मिलने एवं न्यायालयों के निर्णय की समय पर जानकारी नही मिलने एवं बिमारी का भय होने एवं ग्रामीण परिवेश के काश्तकार पेशा एवं औरतजात होने लॉकडाउन होने एवं उसके उपरान्त् अजमेर दिनांक 21.07.2020 को जाने पर अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा उनके प्रकरण में दिनांक 17.03.2020 को निर्णय हो गया था जिसकी जानकारी देने पर एवं उसके उपरान्त राजस्व मण्डल के निर्णय की नकल लेने पर एवं उसके उपरान्त कोरोना माहमारी की वजह से प्रार्थीगण अपने मातहत अदालत के उक्त निर्णय व डिकी दिनांक 14.09.2020 को आवेदन कर दिनांक 15.09.2020 को नकल प्राप्त करने मे हुई माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 17.03.20 को अपने निर्णय में विनिश्चय किया कि वादी के वाद पत्र में प्रतिवादी पक्ष की ओर से जवाब दावे के साथ मे प्रतिवाद काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया था जिसे परीक्षण न्यायालय ने प्राथमिक डिकी के निर्णय के साथ ही निर्णय पारित करते हुए खारिज किया है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 नियम 4 व 6 के प्रावधानों के अनुसार काउन्टर क्लेम भी एक वाद का रूप ही होता है और उस पर वे सभी प्रक्रियात्मक प्रावधान लागू होते है जो कि एक वाद में लागू होते है एवं उक्त प्रकरण मे वादी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

जो वाद प्रस्तुत किया था उसमें प्रस्तुत किए गए प्रतिवाद को खारिज करने और वादी के वाद को डिकी करने के निर्णय के विरूद्व एक ही अपील पेश की है। जबकि दावा को डिकी करने के आदेश एवं प्रतिवादी काउन्टर क्लेम को खारिज करने के विरूद्व मातहत अदालत के समक्ष दो पृथक–पृथक अपीले पेश करनी चाहिए थी। अतः अब यह अपीले दफा 5 व दफा 12 मियाद अधिनियम के प्रार्थना के साथ पेश की जा रही है।

6. अपीले प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।
7. सर्वप्रथम अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 05 व धारा 12 लिमिटेशन एक्ट पर संक्षिप्त बहस करते हुये प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की गई।
8. अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट का प्रार्थना पत्र धारा 05 व धारा 12 मियाद अधिनियम के जवाब में कथन है कि अपील को देरी से पेश करने का कोई औचित्य नहीं है। अतः अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम खारिज कर अपील खारिज की जावें।
9. धारा 5 व धारा 12 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया गया, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर अपील संख्या 3895 दिनांक 17.03.2020 के बाद यह अपील 01.10.2020 को पेश की गई। परन्तु उक्त अवधि मे संपूर्ण देश मे कोरोना माहमारी के कारण उक्त अवधि को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी एक महत्वपूर्ण निर्णय मे कोरोना माहमारी को परिसीमा मे मानने के आदेश दिए गए थे। अतः न्यायहित मे प्रार्थना पत्र धारा 5 व धारा 12 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है।
10. तीनों अपीलों की मुख्य बहस में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपील मीमों के बिंदु संख्या 04 मे अंकित सजरे के अनुसार देवा के 4 पुत्र मियाचन्द, श्रीचन्द पेमा व अमलू हुए, जिनमें श्रीचन्द व पेमा लाऔलाद फौत हो गये मियाचन्द का पुत्र भन्ता था जिसके वारिसान वादीगण एवं अमलू के पुत्र बृजा उर्फ बिरजुलाल के वारिसान अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण 01 लगायत 06 है। मियाचन्द व श्रीचन्द शामिलात में रहे एवं पेमा व अमलू शामिलात में रहे। पेमा व अमलू की कृषि आराजीयात भी शामिलात में रही। पेमा, अमलू के पास मे ही रहा और वाद पत्र के मद नंबर एक मे वर्णित आराजीयात पेमा व अमलू की खातेदारी कब्जे काश्त की शामिलात मे रही है। विवादित आराजी खसरा नंबर 134, 188, 189 जिसके साबिक खसरा नंबर 137, 141, 142 है संवत् 2002 से 2006 खाता चारसाला मे पैमा पुत्र देवा व बृजलाल पुत्र अमलू के संयुक्त खातेदारी में दर्ज रही है। साबिक खसरा नंबर 33, 34, 40, 41, 43, 44, 39, 333, 284, 285, 286, 364, 363,

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

354, 362, 361, 359, 360, 358 पर संवत् 2002 से अपीलांटस् के पिता बृजा उर्फ बिरजूलाल का कब्जा पैमा पुत्र देवा के मरने के बाद तन्हा रूप बतौर खातेदार काश्तकार रहा है। उक्त विवादित आराजीयात से वादीगण व उनके पिता भन्ता व पितामह मियाचन्द को कोई कब्जा काश्त खातेदारी कभी भी नही रही है। पेमा के फौत के उपरांत उसके सभी अंतिम किया कम अपीलांट द्वारा किए गए है क्योंकि पेमा व अमलू दोनो शामिलात मे रहते थे और दोनो की आराजीयात संवत् 2002 से संयुक्त कब्जे काश्त मे थी। अदालत मातहत द्वारा राजस्व रिकार्ड पर्चा संवत् 2002 व प्रदर्श डी–1 से डी–4 का बिना अवलोकन किए ही निर्णय पारित किया है। पंच पटेलों का पर्चा मौका संवत् 2053 से भी अपीलांट का कब्जा साबित है। फिर भी मातहत अदालत द्वारा दावा वादगण डिकी करने में व काउन्टर क्लेम अपीलांटस्/प्रतिवादीगण खारिज कर भारी कानूनी भूल की हैं। मातहत अदालत ने रेस्पोडेन्ट को 1/2 हिस्से का खातेदार मानते हुये विधि विरूद्व निर्णय पारित किया है तथा मातहत अदालत द्वारा प्रकरण को लोक अदालत कैम्प करणपुर में कोई नोटिस अपीलार्थीगण को नही दिया गया था। जो निरस्त किए जाने योग्य है।

11. हमारे द्वारा पत्रावलीयों में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। उभयपक्षकारान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया।

12. रिकार्ड के अवलोकन से जाहिर आया कि खाता चौसला संवत् 2002 मौजा ढाकरी रियासत करौली मे साबिक खसरा नंबर 33, 34, 40, 41, 42, 43, 63/2, 399/3 कुल किता 8 रकबा 16 बीघा 05 बिस्वा है के हाल खसरा नंबर 57, 56, 47, 40, 45, 48, 67, 63, 65, बने हैं। संवत् 2002 मे साबिक आराजी नंबर पेमा वल्द देवा के नाम दर्ज रिकार्ड है (प्रदर्श डी–1) इसी प्रकार संवत् 2002 मे खाता संख्या 19 मे खसरा नंबर 283, 285, 284, 286 कुल किता 4 कुल रकबा 5.0 बीघा के हाल खसरा नंबर 352, 351, 353 भी पेमा वल्द देवा के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रदर्श–डी 2 खाता चौसला संवत् 2002 मौजा ढाकरी रियासत करौली के अनुसार आराजी खसरा नंबर 136, 142, 141, 358, 359, 360/1, 361, 363 कुल किता 8 कुल रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा पेमा वल्द देवा व बिरजूलाल वल्द अमलू नाबालिग संरक्षक पेमा जाति मीना हिस्सा बराबर अंकित है। इसी प्रकार प्रदर्श–डी 3 मे जमाबंदी संवत् 2010 मे विवादित आराजीयात खतौनी संख्या 39 कुल किता 21 कुल रकबा 32 बीघा 04 बिस्वा भन्ता वल्द मयाचंद व बिरजू वल्द अमलू हिस्सा बराबर अंकित है। प्रदर्श–6 जमाबंदी संवत् 2061–2064 खाता नंबर 65 मे विवादित आराजीयात भन्ता, बृजा पिता मियाचंद जाति मीना साकिन देह अंकन है। अदालत मातहत द्वारा प्रकरण मे कुल 6 तनकीयात कायम की गई, जिसमें मुख्य तनकी संख्या 01 इस प्रकार है " आया कि वादीगण के पिता भंता एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

प्रतिवादीगण के पिता बृजा विवादित संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की विवादित आराजीयात मुताबिक वाद पत्र नंबर 01 है?" प्रतिवादीगण के विरूद्व तय की गई।

तनकी संख्या 02 इस प्रकार है " आया विवादित आराजीयात मे वादीगण का हिस्सा 1/2 एवं प्रतिवादीगण नंबर 1 ता 6 का 1/2 हिस्सा है और इसी हिस्से अनुसार बंटवारा कराने एवं राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज कराने के अधिकारी हैं? " यह तनकी प्रतिवादीगण विरूद्व तय की गई।

तनकी संख्या 03 इस प्रकार है " आया प्रतिवादीगण मुताबिक काउन्टर क्लेम विवादित आराजीयात की खातेदारी की घोषणा अपने नाम कराने के अधिकारी है? यह तनकी प्रतिबादीगण के विरूद्व तय की गई।

अदालत मातहत द्वारा अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत काउन्टर क्लेम के साथ प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श–डी 1 से डी–6 का बिना अवलोकन किए, प्रस्तुत सजरा के उपर कोई तनकीयात कायम नही करते हुए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रारम्भ संवत् 2012 को बिना "कब्जा" की विवेचना करते हुए एकपक्षीय तनकीयात कायम की जाकर निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्व है। अपास्त योग्य है।

तनकी संख्या 01 की विवेचना मे केवल वाद पत्र को ही आधार बनाया गया है जबकि काउन्टर क्लेम के तथ्यों को ध्यान मे नही रखा गया।

तनकी संख्या 03 की विवेचना करते समय प्रतिवादीगणों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व इस संबंध मे काउन्टर क्लेम मे उल्लेखित सजरा के बारे मे बिलकुल ही विवेचना नही की गई हैं। इसी कारण अदालत मातहत द्वारा एकपक्षीय तनकीयात कायम की जाकर केवल और केवल जमाबंदी 2061–2064 को आधार मानकर ही सभी तनकीयात का निर्णय प्रतिवादीगण के विरूद्व तय किया गया है जो विधि विरूद्व है। अपास्त योग्य है।

उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अदालत मातहत के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 06.01.2016 जिसमें प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम भी खारिज किया गया है को निरस्त खारिज किया जाता है।

इसी प्रकार अंतिम डिक्री दिनांक 15.07.2016 पारित करते समय राजस्थान काश्तकारी नियम 18–21 की पालना नही की गई और विभाजन स्कीम तैयार करते समय तहसीलदार द्वारा कोई नोटिस प्रतिवादीगण/अपीलांट को जारी नही की हैं इस कारण अंतिम डिक्री अपास्त योग्य पाए जाने से अपास्त की जाती है।

पत्रावली अदालत मातहत को इन दिशा–निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि निम्नानुसार विरचित तनकीयों के आधार पर पक्षकारान को सुनवाई का उचित अवसर देते हुए, साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर पृथक तनकीवार निर्णय पारित करे–

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

(1) आया जवाब दावे मे प्रस्तुत सजरा अनुसार अपीलांट/प्रतिवादीगण विवादित आराजीयात संवत् 2002 से आज तक काबिज काश्त चले आ रहे है? भार प्रतिवादीगण।

(2) आया पक्षकारान अनुसुचित जनजाति होने के कारण पुराने/हिंदु लॉ के अनुसार वादीगण विवादित आराजीयात मे 1/2 हिस्से के हकदार है? भार वादीगण/प्रतिवादीगण।

(3) आया बंदोबस्त विभाग द्वारा मृतक पेमा की विरासत के आधार पर निर्मित हाल जमाबंदी संवत् 2061—2064 मे (इन्द्राज तनकी संख्या 01 व 02 संदर्भ मे) खाता पृथक कराने का अधिकारी है? भार वादीगण।

उभयपक्षकारान को आदेशित किया जाता है कि आगामी सुनवाई के लिए मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी सपोटरा के समक्ष दिनांक 27.07.2023 को उपस्थित होवें।

13. पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरेइजलास आज दिनांक 26.06..2023 को सुनाया गया।

(हरि राम मीना)
26/6/23
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner